

368 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

[2023] 10 एस. सी. आर 368:2023 आईएनएससी 106 ए

ए.

सिकिम के पुराने उपनिवेशियों का संगठन राष्ट्रपति श्री राम चंद्र मुंद्रा एस/ओ लेट मुरलिधर मुंद्रा एंड ऑर्स।

बी.

भारत का वित्त मंत्रालय सामान्य और ए. एन. आर.

बी.

(विविध अनुप्रयोग डी. सं. 2023 का 5112) में

(लेखन याचिका (सी) सं. 59/2013) फरवरी 08,2023

सी.

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

निर्णय/आदेश-[2023] 10 एस. सी. आर. 289 का सुधार-माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शाह और माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना के अलग-अलग निर्णय-संबंधित रिट याचिका के साथ रिट याचिका (सी) <आई. डी. 1 का निपटारा करते हुए निर्णय पारित किए गए-मूल रिट याचिकाओं में पर्याप्त संशोधन किए गए थे, हालांकि, ऐसे संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे-परिणामस्वरूप, बिना संशोधन वाली रिट याचिका को माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना के निर्णय में दलीलों को संदर्भित करने के उद्देश्य से विचार में लिया गया था-उनके सुधार के लिए दायर किए गए विविध आवेदन।10 – सिक्किम विषय विनियम, 1961-सिक्किम विषय नियम, 1961।

डी.

ई.

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय:2013 की रिट याचिका (सी) No.59 में 2023 का विविध आवेदन D.No.5112।

एफ.

डब्ल्यू. पी. में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13.01.2023 दिनांकित निर्णय और आदेश से।
(ग) 2013 का No.59।

के साथ

2013 की रिट याचिका (सी) No.59 में 2023 का विविध आवेदन
D.No.5236, 2013 की रिट याचिका (सी) No.59 में 2023 का विविध आवेदन
D.No.5645 और समीक्षा याचिका (सी) D.Nos। 2023 का 5450, 5075, 5065
जी.

तुषार मेहता, एस. जी., एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., सी. एस. वैद्यनाथन, डॉ. (श्रीमती)
डोमा टी. भूटिया, संजय आर. हेगड़े, प्रदीप राय, सीनियर। अधिवक्ता, एच.

एच.

368

369

सिक्किम के पुराने उपनिवेशों का संगठन राष्ट्रपति बनाम भारत संघ वित्त मंत्रालय सचिव जनरल ए

आर राव, श्रीमती गार्गी खन्ना, सी. भारती, देवाशीष भरुखा, प्रणय रंजन, विक्रान्त यादव,
रजत नायर, सुघोश सुब्रमण्यम, भुवन कपूर, कानू अग्रवाल, दिग्विजय दाम, माधव सिंहल,
राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, ए. के. शर्मा, सुश्री पूजा धर, समीर अभ्यंकर,
सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, रुद्र चटर्जी, विवेक बसनीत, अतुल अरोड़ा,
मासूम राज सिंह, शारिक निशार, मोहम्मद। तनवीर, अनस तनवीर, सुश्री हरिप्रिया
पद्मनाभन, सेंथिल जगदीशन, सुश्री शिवानी विज, अभिनव रघुवंशी, सुश्री राजश्री राय,
विनय कुमार, अर्णव मित्तल, सुश्री रितिका गौर, सुश्री बंशिका गर्ग, शशांक राय, विपिन
कुमार भारती, ऐश्वर्या प्रताप शाही, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, नरेंद्र कुमार, सुश्री नेहा
राठी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

याचिकाकर्ता संख्या 4, भारत संघ के साथ-साथ सिक्किम राज्य ने मेरे फैसले के पैराग्राफ 10
(ए) और 77 में कुछ वाक्यांशों में सुधार की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं। (जे)
13.01.2023 पर संबंधित रिट याचिका के साथ रिट याचिका (सी) NO.59/2013 का
निपटारा करना।

डी.

यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त रिट याचिकाओं में, 2013 के आई. ए. <आई. डी. 2 में संशोधन की मांग करने वाले एक आवेदन के अनुसरण में एक संशोधित रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे आई. डी. 1 पर अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ताओं को 2013 के आई. ए. <आई. डी. 2 के पैराग्राफ 4 (ए) से 4 (वाई) के माध्यम से संशोधित रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, रिट याचिका में संशोधन किए गए।

ई.

दुर्भाग्य से, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उक्त मामले में संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए अन्य अधिवक्तों ने मूल रिट याचिकाओं में किए गए उपरोक्त महत्वपूर्ण संशोधनों को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया। वास्तव में, यह उनका कर्तव्य था कि वे उक्त संशोधनों को इस न्यायालय के ध्यान में लाएं, जो संख्या में पैंचिश थे। परिणामस्वरूप, बी. वी. नागरत्ना, जे. के निर्णय में अभिवचनों को संदर्भित करने के उद्देश्य से असंपादित रिट याचिका पर विचार किया गया है। अब, निर्णय में सुधार की मांग करते हुए विविध आवेदन दायर किए गए हैं जैसे कि इस तथ्य की अनदेखी करके कि मूल रिट याचिकाओं में लाए गए संशोधनों को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, अदालत की ओर से त्रुटि हुई है!

एफ.

जी.

एच.

370

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

हालाँकि, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित अन्य सभी विद्वान अधिवक्ता ों को सुनने के बाद, हम सोचते हैं कि बी. वी. नागरत्ना, जे. के फैसले के पैराग्राफ 10 (ए) और 77 में कुछ वाक्यांशों/भागों को निम्नलिखित सुधार करके सही करना उचित और न्याय के हित में है -1. पैरा 10 (ए) में, वाक्य, "इसलिए, कोई नहीं था

बी.

सिक्किम के मूल निवासियों, अर्थात् भूटिया-लेपचा और सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों, जैसे नेपालियों या भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो सिक्किम में पीढ़ियों से बसे हुए थे, के बीच अंतर देखा गया।

पीछे "हटा दिया गया है।

सी.

2. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का स्पष्टीकरण याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, इसलिए छूट का लाभ उस दिन से दिया जाना चाहिए जिस दिन उक्त स्पष्टीकरण को उक्त अधिनियम में जोड़ा गया था। इन परिस्थितियों में, निम्नलिखित अभिव्यक्ति, पृष्ठ 115 पर, पैरा 77 में, अर्थात् "से

डी.

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 के बाद

हटा दिया जाएगा और "प्रावधान" शब्द के बाद एक पूर्ण विराम होगा। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने भी उपयुक्त टिप्पणियां करने का अनुरोध किया है कि इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-एफ की वैधता या व्याख्या पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। इस तरह के स्पष्टीकरण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-एफ की वैधता या व्याख्या इस न्यायालय के समक्ष विषय नहीं थी।

ई.

एफ.

यह और स्पष्ट किया जाता है कि सिक्किम की परिभाषा और सिक्किम विषय विनियम, 1961 और सिक्किम विषय नियम, 1961 का संदर्भ हालांकि निरस्त कर दिया गया है, केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 26 (एएए) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। विविध आवेदनों का निपटारा उपरोक्त में किया गया है।

जी.

शर्ते।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2023 की समीक्षा याचिका (सी) डी. संख्या 5450,5075 और 5065 का निपटारा कर दिया गया है।

हस्तक्षेप और स्पष्टीकरण के लिए आवेदनों सहित सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

एच.

सिकिम के पुराने उपनिवेशों का संगठन राष्ट्रपति बनाम भारत संघ वित्त मंत्रालय

ए.

इस आदेश को 13 जनवरी, 2023 के निर्णय के अंश के रूप में पढ़ा जाएगा।

दिव्या पांडे

एम. ए. का निपटारा किया गया।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.